न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2026/71

मिसल नम्बर– 07 / 2026

1.रमेश चन्द आत्मज प्रभुलाल आयु 63 साल

2.श्रीमती बद्रीबाई पत्नि रमेशचन्द आयु 60 साल निवासीगण बीड के बालाजी के पास, कुन्हाड़ी कोटा राजस्थान

प्रार्थीगण।

बनाम

1.महेन्द्र आत्मज रमेश चन्द आयु 40 साल

2.श्रीमती नीतू पत्नि श्री महेन्द्र आयु 35 साल निवासीगण बीड के बालाजी के पास, कुन्हाड़ी कोटा राजस्थान

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक....13/5/2026

उपस्थिति:–

1. श्री पृथ्वीराज सिंह अभिभाषक प्रार्थी

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सिनियर सिटीजन है और अप्रार्थीगण पुत्र बहू है लेकिन प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार मारपीट व घर का वातावरण बिगाड कर लगातार परेशान कर रहे है। प्रार्थीगण के 7 पुत्र–पुत्रियां है जिसमें 6 पूत्री विवाहित हैं जो अपने–अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्थ है जिन्हे प्रार्थीगण की चल–अचल सम्पत्ति से कोई मतलब नही है प्रार्थीगण के पास स्वयं का रिहायशी मकान जो कि वाके बापू नगर बालिता रोड, कच्ची बस्ती कोटा में स्थित है। जिसका नियमन कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा किया हुआ है। प्रार्थीगण ने भुखण्ड क्रय करके उसे निर्मित किया रिहायशी स्थल बनाया जिसमें दो कमरे बाहर दीवारी बने हुये है जो कि लगभग 33 बाई 42 पर निर्मित है। प्रार्थीगण ने मेहनत मजदूरी करके मकान बनाया पुत्रियों की शादीयां की अप्रार्थी की शादी की लेकिन साथ रहते रहते अप्रार्थीगण के मन में खोठ पैदा होने लग गयी और घर का वातावरण बिगाडने लग गये और धीरे–धीरे हाथापाई पर आ गये। प्रार्थीगण दोनों सिनियर सिटीजन है बेरोजगार है जो हमेशा बीमार रहते है जिन्हे दवाई गोली की आवश्यकता है प्रार्थी क्रम–1 इस उम्र में मेहनत मजदूरी करने चल जाता है इससे दोनों प्रार्थीगण का खर्चा चलता है। यदि

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण को कोई दैनिक मजदूरी नही मिलती है तो अप्रार्थीगण उनसे खाना खाने की भी नही पूछते और तेज अवाज में म्यूजिक चलाते है। कही बार प्रार्थीगण को भुखा भी सोना पडता है। अप्रार्थी क्रम–1 सायकालीन जब घर आता है तो शराब के नशे में धुत्त होकर आता है और आते ही प्रार्थीगण के बिना बातचीत करे ही भद्दी गालियां देता है और यदि वह रोकने टोकने का प्रयास करते है तो उनका पुत्र सुमित जो लगभग 16 वर्ष का है जो कहता है कि दोनों को एक बार में फ्री कर दूंगा और भद्दी भद्दी गालियां देता है और प्रार्थीगण को कहते है कि यह मरते क्यों नही है। पूर्व में भी कही बार मारपीट कर चुके है। प्रार्थीगण में भय बना हुआ है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ कोई बडी घटना कारित न कर देवें । प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के साथ रहना मुश्किल हो गया है। अप्रार्थीगण कभी भी मौके का फायदा उठाकर प्रार्थीगण की जान ले सकते है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के साथ रहना एक पल भी मुश्किल हो गया प्रार्थीगण सकुन से बुढापे का जीवन व्यतीत करना चाहते है और अप्रार्थीगण को साथ नही रखना चाहते है। नही तो कभी भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की जीवन लीला समाप्त कर सकते है। प्रार्थीगणो की हितो की रक्षा के लिये अप्रार्थीगण को घर से बेदखल करना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण पूर्व में भी कही बार उनके साथ हुयी मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवा चुके है और अप्रार्थीगण को पाबन्द भी किया जा चुका है लेकिन उनके द्वारा किये गये कृत्य पर कोई रोक नही लग सकी है। इसलिये अप्रार्थीगण को घर से बेदखल करना आवश्यक है। अतः परिवाद पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के रिहायशी परिसर से बेदखल किये जाने के आदेश करने की कृप करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया है कि प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार मारपीट व घर का वातावरण बिगाड कर लगातार परेशान कर रहे है। प्रार्थीगण पूर्व में भी कही बार उनके साथ हुयी मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवा चुके है और अप्रार्थीगण को पाबन्द भी किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई और ना ही अप्रार्थीगण को पाबंद करने से सम्बंधित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित मकान बीड के बालाजी के पास कुन्हाडी कोटा से बेदखल करने के पर्याप्त कारण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

पत्रावली पर उपलब्ध नही होने के कारण बेदखली बाबत चाहा गया अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत वरिष्ठ नागरिको एवं माता पिता का भरण पोषण अधिनियम साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण को वर्णित मकान बीड के बालाजी के पास कुन्हाडी कोटा से बेदखल नहीं करे, प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा